

प्रश्न: भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों का विस्तृत वर्णन कीजिए।

उत्तर:

भारतीय संविधान के भाग V (अनुच्छेद 124 से 147) में सर्वोच्च न्यायालय के गठन और शक्तियों का वर्णन किया गया है। भारत में 'एकल एकीकृत न्याय प्रणाली' (Integrated Judiciary) है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। इसे संविधान का संरक्षक (Guardian of the Constitution) और मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और क्षेत्राधिकार को हम निम्नलिखित बिंदुओं में समझ सकते हैं:

1. मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction - अनुच्छेद 131)

यह उन मामलों से संबंधित है जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में शुरू होते हैं, इन्हें किसी निचली अदालत में नहीं ले जाया जा सकता। जैसे:

- भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद।
- एक तरफ भारत सरकार और कुछ राज्य, और दूसरी तरफ अन्य राज्यों के बीच विवाद।
- दो या दो से अधिक राज्यों के बीच आपसी विवाद।

2. रिट क्षेत्राधिकार (Writ Jurisdiction - अनुच्छेद 32)

नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है:

- बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
- परमादेश (Mandamus)
- प्रतिषेध (Prohibition)
- अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto)
- उत्प्रेषण (Certiorari)

(नोट: जहाँ अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को भी यह शक्ति है, वहीं अनुच्छेद 32 खुद एक मौलिक अधिकार है।)

3. अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction - अनुच्छेद 132-136)

सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे बड़ी अपील की अदालत है। यहाँ चार तरह के मामलों में अपील की जा सकती है:

- संवैधानिक मामले: यदि हाई कोर्ट प्रमाणित करे कि मामले में संविधान की व्याख्या

का प्रश्न है।

- **दीवानी (Civil) मामले:** संपत्ति या धन से जुड़े बड़े विवाद।
- **फौजदारी (Criminal) मामले:** यदि किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई हो।
- **विशेष अनुमति याचिका (SLP - अनुच्छेद 136):** सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से किसी भी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील सुनने की अनुमति दे सकता है।

4. सलाहकार क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction - अनुच्छेद 143)

भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे किसी सार्वजनिक महत्व के कानूनी तथ्य पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकें।

- हालांकि, न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है (कुछ मामलों को छोड़कर)।
- राष्ट्रपति भी उस सलाह को मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं होते।

5. अभिलेख न्यायालय (Court of Record - अनुच्छेद 129)

इसका मतलब दो बातों से है:

- सर्वोच्च न्यायालय के फैसले लिखित साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं और भविष्य में निचली अदालतों के लिए नजीर (Precedent) का काम करते हैं।
- इसके पास अपनी 'अवमानना' (Contempt of Court) के लिए दंड देने की शक्ति है।

6. न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति (Judicial Review)

यह सर्वोच्च न्यायालय की सबसे प्रभावशाली शक्ति है। यदि संसद या राज्य विधानसभा कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान का उल्लंघन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे 'अवैध' या 'शून्य' घोषित कर सकता है।

निष्कर्ष:

निष्कर्षतः, भारत का सर्वोच्च न्यायालय दुनिया के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। यह न केवल केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार अपनी शक्तियों की मर्यादा में रहे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ही हमारे लोकतंत्र की असली ताकत है।

Question: Describe in detail the jurisdiction and powers of the Supreme Court of India.

Answer:

The constitution and powers of the Supreme Court are described in **Part V (Articles 124 to 147)** of the Indian Constitution. India has a 'single integrated judiciary' system, with the Supreme Court at its apex. It is considered the **Guardian of the Constitution** and the protector of fundamental rights.

The powers and jurisdiction of the Supreme Court can be understood through the following points:

1. Original Jurisdiction (Article 131)

This relates to cases that originate directly in the Supreme Court and cannot be taken to any lower court. For example:

- Disputes between the Government of India and one or more States.
- Disputes between the Government of India and some States on one side, and other States on the other side.
- Inter-State disputes between two or more States.

2. Writ Jurisdiction (Article 32)

The Supreme Court has the power to issue 5 types of writs to protect the fundamental rights of citizens:

1. **Habeas Corpus**
2. **Mandamus**
3. **Prohibition**
4. **Quo-Warranto**
5. **Certiorari**

(Note: While High Courts also have this power under Article 226, Article 32 itself is a Fundamental Right.)

3. Appellate Jurisdiction (Articles 132-136)

The Supreme Court is the highest court of appeal in the country. Appeals can be made here in four types of cases:

- **Constitutional Cases:** If the High Court certifies that the case involves a question of interpretation of the Constitution.
- **Civil Cases:** Major disputes related to property or money.
- **Criminal Cases:** If a person has been sentenced to death by the High Court.
- **Special Leave Petition (SLP - Article 136):** The Supreme Court, at its discretion, may grant permission to hear an appeal against the judgment of any court.

4. Advisory Jurisdiction (Article 143)

The President of India has the right to seek advice from the Supreme Court on any legal matter of public importance.

- However, the Court is not bound to give advice (except in certain cases).
- The President is also not legally bound to accept that advice.

5. Court of Record (Article 129)

This implies two things:

- The judgments of the Supreme Court are preserved as written evidence and serve as a **precedent** for lower courts in the future.
- It has the power to punish for its own '**Contempt of Court**'.

6. Power of Judicial Review

This is the most influential power of the Supreme Court. If Parliament or a State Legislature makes a law that violates the Constitution, the Supreme

Court can declare it '**illegal**' or '**null and void**'.

Conclusion:

In conclusion, the Supreme Court of India is one of the most powerful courts in the world. It not only maintains a balance between the center and the states but also ensures that the government operates within the limits of its powers. The independence of the judiciary is the true strength of our democracy.